





अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं०-07/2024

1. आवेदक- सुषमा कुमारी, पता-देवडांड, पोडैयाहाट, जिला- गोड्डा।

बनाम्

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
10.12.2024	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>आयोग के Website https://jharkhandstc.in/admin/ के Complain No. 23309242200001 के माध्यम से सुषमा कुमारी, पता-देवडांड, पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, उक्त मामला PMMVY की राशि नहीं मिलने (आंगनवाड़ी केन्द्र) से संबंधित है।</p> <p>अतः उपरोक्त संदर्भ में अपना पक्ष रखने हेतु सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16.12.2024 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा। </div> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा। </div> </div>	
16/12/24	<p>अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष उपस्थित / DSWO को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.12.2024 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right;">  16.12.24 </div>	
23/12/24	<p>आवेदक उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थित। आवेदिका द्वारा आवेदन मांगित कर किया गया। द्वितीय पक्ष से प्रतिक्रिया की मांग करें। अभिलेख दिनांक- 28.12.24 को करें।</p> <div style="text-align: right;">  28.12.24 अपर समाहर्ता </div>	

अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0-07/2024

1. आवेदक- सुषमा कुमारी, पता-देवडांड, पोडैयाहाट, जिला- गोड्डा।

बनाम्

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28/12/24	<p>अभिलेख उपस्मापित / उत्तम पत्र अनुपस्थित । पुनः स्मार पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भेजे। अभिलेख दिनांक. 04.01.25 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">28.12.24</p>	
04/01/2025	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। समाज कल्याण पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त आवेदक का उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। आपलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संस्थापित एवं उपस्थापित</p> <p style="text-align: center;">04.01.25</p> <p>अपर समाहर्ता- सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा</p>	<p style="text-align: center;">04.01.25</p> <p>अपर समाहर्ता- सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा</p>